

संख्या: 6/24/2019-पीईएसबी

भारत सरकार
Government of India
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
Department of Personnel & Training
(लोक उद्यम चयन बोर्ड)
(Public Enterprises Selection Board)

ब्लॉक संख्या 14, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
Block No.14, C.G.O. Complex, Lodhi Road
नई दिल्ली | New Delhi-110003

Dated: 07/10/2024

सी. पी. एस. ई का नाम

NAME OF THE CPSE

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

पद का नाम

NAME OF THE POST

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

रिक्ति की तारीख

DATE OF VACANCY

01.08.2025

सी. पी. एस. ई की अनुसूची

अनुसूची बी

पद का वेतनमान

रु. 180000-320000 (आईडीए)

I. कंपनी प्रोफाइल

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तहत शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य रक्षा, व्यापारिक, समुद्री और तेल क्षेत्रों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल पोत/पनडुब्बी निर्माण और मरम्मत के लिए स्वदेशी क्षमता प्रदान करना है। एचएसएल अनुसूची 'बी' सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के पास है।

दिनांक 31.3.2024 तक कंपनी में 655 नियमित कर्मचारी (कार्यपालक-283 और गैर-कार्यपालक-372) कार्यरत हैं।

पंजीकृत और निगमित कार्यालय विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं।

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 304 करोड़ रुपये और 301.99 करोड़ रुपये थी।

दिनांक 31.03.2024 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है।

II. रोजगार का विवरण और जिम्मेदारियाँ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं तथा इसके निदेशक मंडल और भारत सरकार/शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हैं। आप निगम के कुशल संचालन तथा इसके कॉर्पोरेट उद्देश्यों और कार्यनिष्पादन मानदंडों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार हैं।

III. पात्रता

1. आयु: रिक्ति की तिथि पर डीओवी)

सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष			
आंतरिक		अन्य	
न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
45	सेवानिवृत्ति की तिथि के संदर्भ में रिक्ति की तिथि को 2 वर्ष की अवशिष्ट सेवा।	45	सेवानिवृत्ति की तिथि के संदर्भ में रिक्ति की तिथि को 3 वर्ष की अवशिष्ट सेवा।

2. रोजगार की स्थिति:

आवेदक को आवेदन की तिथि के साथ-साथ साक्षात्कार की तिथि को भी निम्नलिखित में से किसी एक पद पर नियमित क्षमता में कार्यरत होना चाहिए, न कि संविदात्मक/तदर्थ क्षमता में: -

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) (सीपीएसई के बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक सहित),

(ख) केंद्र सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारी जिनमें संघ के सशस्त्र बल और अखिल भारतीय सेवाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी शामिल हैं;

(ग) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) जहां वार्षिक कारोबार 750 करोड़ रुपये या उससे अधिक है:

(घ) निजी क्षेत्र की कंपनी जिसका वार्षिक कारोबार 750 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

सूचीबद्ध कंपनियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(*जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है, उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों का औसत लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर अनुमोदित सीमा लागू करने के लिए माना जाएगा)

3. योग्यता :

आवेदक को किसी अग्रणी संस्थान से इंजीनियरिंग स्नातक/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट/स्नातकोत्तर/एम.बी.ए./पी.जी.डी.आई.एम. के साथ स्नातक होना चाहिए।

4. अनुभव :

आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित बड़े संगठन में वित्त/व्यवसाय विकास/उत्पादन/संचालन/विपणन/परियोजना प्रबंधन में पिछले दस वर्षों के दौरान कम से कम पांच वर्षों का संचयी अनुभव/अनुभव होना चाहिए।

पोत डिजाइन/निर्माण/मरम्मत में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

5. वेतनमान :

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम-

पात्र वेतनमान

(i) रु . 7250-8250 (आईडीए) पूर्व 01/01/1992

(ii) रु . 9500-11500 (आईडीए) पोस्ट 01/01/1992

(iii) रु . 20,500-26,500 (आईडीए) 01/01/1997 के बाद

(iv) रु . 51300-73000 (आईडीए) 01/01/2007 के बाद

(v) रु . 120000-280000 (आईडीए) 01/01/2017 के बाद

(vi) रु . 18400-22400 (सीडीए) पूर्व संशोधित पद 01.01.1996

(vii) रु . 37400-67000+ जीपी 10000 (सीडीए) 01/01/2006 के बाद

(viii) रु . 144200-218200 (स्तर 14) (सीडीए) 01/01/2016 के बाद

रिक्ति की तिथि पर पात्र वेतनमान में अपेक्षित न्यूनतम सेवा अवधि आंतरिक उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष तथा अन्य के लिए दो वर्ष होगी।

(बी)

(i) अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) और स्वायत्त निकायों आदि सहित केंद्र सरकार के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को आवेदन की तिथि पर भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर का पद या मूल आधार पर समकक्ष वेतनमान धारण करना चाहिए।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थानों के आवेदकों को आवेदन की तिथि पर एक वर्ष के लिए बोर्ड स्तर पर होना चाहिए।

(iii) संघ के सशस्त्र बलों के आवेदकों को आवेदन की तिथि पर सेना में मेजर जनरल स्तर का पद या नौसेना/वायु सेना में समकक्ष पद पर होना चाहिए।

(सी)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन की तिथि पर बोर्ड स्तर पर कार्यरत होना चाहिए।

6. केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए तत्काल आमेलन की शर्त

केंद्र सरकार के अधिकारी, जिनमें संघ के सशस्त्र बल और अखिल भारतीय सेवाएं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी शामिल हैं, केवल तत्काल आमेलन के आधार पर ही विचार किए जाने के पात्र होंगे।

IV. नियुक्ति की अवधि

यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

V. आवेदन प्रस्तुत करना

आवेदकों को अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करने चाहिए।

1. आवेदकों को अपने आवेदन निम्नलिखित उचित माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए:

(क) समूह 'क' केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, जिनमें संघ के सशस्त्र बलों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी शामिल हैं; कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के माध्यम से।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारी: भारत सरकार के अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के माध्यम से।

(ग) सीपीएसई में सीएमडी/एमडी/कार्यात्मक निदेशक: संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से;

(घ) सीपीएसई में बोर्ड स्तर से नीचे: संबंधित सीपीएसई के माध्यम से;

(ई) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सीएमडी/एमडी/कार्यात्मक निदेशक: राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक सचिव और कैडर नियंत्रण प्राधिकरण, यदि कोई हो, के माध्यम से;

(च) निजी क्षेत्र, सीधे पी.ई.एस.बी.को।

2. निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(ए) उस कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें आप पिछले तीन वित्तीय वर्षों से कार्यरत हैं वह कैलेंडर वर्ष जिसमें पद विज्ञापित किया गया है (कृपया यूआरएल प्रदान करें या संलग्न/प्रतियाँ संलग्न करें)

(ख) क्या कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं; यदि हाँ, तो दस्तावेजी प्रमाण (कृपया यूआरएल प्रदान करें या प्रतियाँ संलग्न करें);

(ग) बोर्ड स्तर पर काम करने का साक्ष्य,

(घ) आयु एवं योग्यता के समर्थन में दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ:

(ई) पूर्व में किए गए प्रासंगिक कार्यों का विवरण।

VI. आवेदक द्वारा वचनबद्धता

आवेदन के साथ ही आवेदक को यह वचन देना होगा कि यदि उसका चयन हो जाता है तो वह पदभार ग्रहण कर लेगा। यदि आवेदक ऐसा वचन नहीं देता है तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1. संघ के सशस्त्र बलों और अखिल भारतीय सेवाओं सहित केंद्र सरकार के उम्मीदवारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थानों / स्वायत्त निकायों आदि के अधिकारियों के लिए;

(क) नियुक्ति तत्काल आमेलन के आधार पर है।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा।

(ग) इसके अतिरिक्त, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने हेतु नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

2. सीपीएसई के अभ्यर्थियों के लिए

(क) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए उस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के अलावा किसी अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए उस केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) के अलावा किसी अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में बोर्ड स्तर के पद के लिए विचार किए जाने से वंचित कर दिया जाएगा।

3. एसपीएसई/निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए

(क) यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे साक्षात्कार की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद पर विचार करने से रोक दिया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है, तो उसे नियुक्ति प्रस्ताव की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद पर विचार किए जाने से रोक दिया जाएगा।

4. उपर्युक्त मामलों में छूट या अन्यथा के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

vii. आवेदक या तो

(ए) पीईएसबी की वेबसाइट <https://pesb.gov.in/> पर इस नौकरी विवरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और उसके बाद इसे ऑनलाइन अग्रेषित करें, जैसा कि पैरा वी (1) में निर्दिष्ट है;

या

(बी) पीईएसबी की वेबसाइट-<https://pesb.gov.in/> पर इस नौकरी विवरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, प्रिंटआउट लें और इसे ऑफ़लाइन भेजें, जैसा कि पैरा वी (1) में निर्दिष्ट है।

पीईएसबी में आवेदन प्राप्त करने की कुल समयसीमा प्रमुख राष्ट्रीय दैनिकों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिन है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आवेदकों को 04.11.2024 को दोपहर 03:00 बजे तक आवेदन जमा करने होंगे। नोडल अधिकारियों के लिए पीईएसबी को आवेदन अग्रेषित करने की अंतिम तिथि 13.11.2024 को दोपहर 03:00 बजे तक है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन और निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

viii. बोर्ड समय-समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिए आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ix. आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर भेजे जाने चाहिए

सचिव,
सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड,
सार्वजनिक उद्यम भवन,
ब्लॉक नं. 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के साथ सभी पत्राचार केवल **सचिव, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड को संबोधित किया जाना चाहिए।**
